उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, 1972)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 3-4-72 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 10-4-72 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।]

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 15-4-72 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 19-4-72 ई० को प्रकाशित हुआ।]

यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम।

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

यू० पी० ऐक्ट संख्या 2, 1916 में नयी धारा का बढ़ाया जाना

2—यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 10-ए के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"11—यदि धारा 30 के अधीन राज्य सरकार की शक्ति का तात्पर्यित प्रयोग करके किसी बोर्ड का अतिक्रमण करने का आदेश दिया जाय, और बाद में ऐसा आदेश शून्य घोषित किया जाय या हो जाय, अथवा उसका प्रवर्तन किसी विधि न्यायालय के आदेश या निर्णय से अथवा उसके परिणामस्वरूप, या राज्य सरकार के किसी ऐसे पश्चात्वर्ती आदेश से अथवा उसके परिणामस्वरूप जिसमें ऐसे बोर्ड का कार्यकाल बढ़ाना तात्पर्यित हो, निलम्बित कर दिया जाय, और इसी बीच बोर्ड का कार्यकाल या बढ़ाया गया कार्यकाल समाप्त हो जाय, तो जब तक कि नया बोर्ड सम्यक् रूप से संघटित न हो जाय :—

कतिपय मामलों में बोर्ड के प्रशासन के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्ध

(ए) बोर्ड, उसके प्रेसीडेन्ट और समितियों की सभी शक्तियाँ, कृत्य और कर्तव्य राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्त किसी अधिकारी में (जिसे आगे प्रशासक कहा गया है) निहित हो जायेंगे और उसके द्वारा प्रयोग, संपादित तथा निर्वहन किये जायेंगे, और विधि में प्रशासक को, अवसर की अपेक्षानुसार, बोर्ड, प्रेसीडेन्ट या समिति समझा जायगा ;

(बी) प्रशासक को ऐसा वेतन तथा भत्ता जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ निश्चित करे, म्युनिसिपल निधि से दिया जायेगा ;

(सी) राज्य सरकार, समय-समय पर, गजट में अधिसूचना द्वारा मूल उपबन्ध पर प्रभाव डाले बिना, ऐसे आनुषंगिक तथा प्रासंगिक उपबन्ध, जिनके अन्तर्गत इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का अनुकूलन, परिवर्तन या परिष्कार करने के भी उपबन्ध हैं, जो उसे इस धारा के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हों, कर सकती है।"

संक्रमणकालीन उपबन्ध

3—(1) यदि किसी म्युनिसिपल बोर्ड का कार्यकाल या बढ़ाया गया कार्यकाल, मूल अधिनियम की धारा 11 में, जैसी कि इस अधिनियम की धारा 2 द्वारा बढ़ायी गयी है, उल्लिखित परिस्थितियों में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व समाप्त हो जाय तो उक्त धारा 11 के खण्ड (ए), (बी) तथा (सी) में उल्लिखित परिणाम इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से प्रभावी होंगे।

(2) प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें ऐसे म्युनिसिपल बोर्ड के, जिसका कार्यकाल इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व समाप्त हो चुका हो, प्रेसीडेन्ट तथा सदस्यों द्वारा किन्हीं शक्तियों का प्रयोग या कर्तव्यों का पालन किया जाना तात्पर्यित हो तो ऐसा तात्पर्यित प्रयोग या पालन इस प्रकार वैध समझा जायेगा मानों बोर्ड का कार्यकाल इस अधिनियम के प्रारम्भ होने तक बढ़ चुका हो :

प्रतिबन्ध यह है कि मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी मूल अधिनियम की धारा 11 में अभिदिष्ट प्रशासक ऐसे तात्पर्यित शक्तियों के प्रयोग या कर्तव्यों के पालन में किये गये किसी कार्य या लिये गये किसी निर्णय जिसके अन्तर्गत, विशेषतया, कोई निष्पादित संविदा अथवा बोर्ड के किसी सेवक की की गयी नियुक्ति, पदोन्नति या सेवोन्मुक्ति या उसे हटाये जाने या अन्य दण्ड दिये जाने का आदेश भी है, का पुनर्विलोकन कर सकता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० 6 का निरसन

4—उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अध्यादेश, 1972, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

[उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 1 अप्रैल, 1972 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।]

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 29 जनरल (लेग०)—1972—1799+50 (मे०)।

THE UTTAR PRADESH MUNICIPALITIES (AMENDMENT) ACT, 1972

(U. P. Act No. 17 of 1972)

Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Municipalities (Sanshodhan) Adhiniyam, 1972]*

AN

ACT

further to amend the United Provinces Municipalities Act, 1916

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-third Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Municipalities (Amendment) Act, 1972.

Insertion of new section 11 in U. P. Act II of 1916.

2. *After* section 10-A of the United Provinces Municipalities Act, 1916, hereinafter referred to as the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely,—

"11. Where an order is passed superseding a Board in the purported exercise of the power of the State Government under section 30, and such order is subsequently declared or rendered void, or its operation is suspended, by or in consequence of an order or decision of a court of law, or by or in consequence of a subsequent order of the State Government purporting to extend the term of such Board, and in the meantime the term or the extended term of the Board has expired, then until the due constitution of the new Board—

Temporary provisions regarding administration of a Board in certain cases.

(*a*) all powers, functions and duties of the Board, its President and Committees shall be vested in and be exercised, performed and discharged by an officer appointed in that behalf by the State Government (hereinafter referred to as the Administrator), and the Administrator shall be deemed in law to be the Board, the President or the Committee, as the occasion may require;

(*b*) such salary and allowances of the Administrator as the State Government may by general or special order in that behalf fix shall be paid out of Municipal Fund;

(*c*) the State Government may from time to time, by notification in the *Gazette*, make such incidental or consequential provisions, including provisions for adapting, altering or modifying any provisions of this Act, without affecting the substance as may appear to it to be necessary or expedient for carrying out the purposes of this section."

Transitory provisions.

3. (1) Where the term or the extended term of a Municipal Board has expired before the commencement of this Act in circumstances mentioned in section 11 of the principal Act, as inserted by section 2 of this Act, the consequences mentioned in clauses (*a*), (*b*) and (*c*) of the said section 11 shall come into effect from the commencement of this Act.

(2) In every such case, where the President and Members of the Municipal Board whose term had expired have purported to exercise or perform any powers or duties of the Board before the commencement of this Act, such purported exercise or performance shall be deemed to be valid as if the term of the Board stood extended until the commencement of this Act :

Provided that notwithstanding, anything in the principal Act, the Administrator referred to in section 11 of the principal Act may review any act done or decision taken in such purported exercise or performance of powers and duties, including, in particular any contract entered into or any order made of appointment or promotion or dismissal or removal or other punishment of a servant of the Board.

Repeal of U. P. Ordinance no. 6 of 1972.

4. The Uttar Pradesh Municipalities (Amendment) Ordinance, 1972 is hereby repealed.

(*For Statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated April 1, 1972.

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on April 3, 1972 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on April 10, 1972.)

(Received the Assent of the Governor on April 15, 1972 under Article 200, of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette, Extraordinary*, dated April 19, 1972.)

PSUP—A.P. 30 Genl. (Leg.)—1972. 1817+50. (M).